

प्रेषक,

राजीव कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक : 13 मई, 2012

विषय : पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर-5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पदोन्नति में आरक्षण एवं पारिणामिक ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/1/2002टी.सी.1-का-2/2012 दिनांक 08 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. सम्यक् विचारोपरान्त वर्णित शासनादेश के प्रस्तर-5(ख) एवं 6(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

वर्तमान प्रस्तर	प्रतिस्थापित प्रस्तर
5(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर-4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनांक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8-क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।	प्रस्तर 5(ख)- इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर-4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनांक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8-क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है।

6(ख) जिन संवर्गों / पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8-क के आधार पर पारिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हों, उनमें से पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।

प्रस्तर 6(ख)- जिन संवर्गों/पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम 8(क) के आधार पर पारिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी थीं, नियम 8(क) के निरस्त होने के कारण उक्त ज्येष्ठता सूचियाँ स्वतः निष्प्रभावी हो गयीं हैं।

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशासनिक विभागों द्वारा पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियों के बारे में निम्नवत् कार्यवाही की जाये:-

(अ) यदि प्रशासकीय विभाग संतुष्ट हैं कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत ज्येष्ठता सूची से पूर्व की निर्गत ज्येष्ठता सूची, जिसमें पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ नहीं दिया गया था, को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियाँ आमंत्रित कर और उनके निस्तारण के उपरान्त तैयार किया गया था, और जो किसी न्यायालय के आदेश से बाधित नहीं है, तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उस ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

(ब) अन्यथा की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली-1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

3. उपरोक्तानुसार वर्णित शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर-5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है। अतः कृपया प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार पदोन्नति के परिपेक्ष्य में तत्काल यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया लिये गये उपरोक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करा दें।

भवदीय,




(राजीव कुमार)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-4 / 1 / 2002(1)टी.सी.-1-का-2 / 2012 तददिनोंक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
  - 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
  - 4- वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
  - 5- समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
  - 6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

  
(एच एल. गुप्ता)  
विशेष सचिव।